

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह म.प्र.

कं. 25/एक-11-1/85

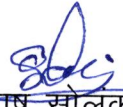
दमोह दि. 10/07/2026

::- संशोधित कार्य विभाजन आदेश -::

कार्य विभाजन आदेश कं. 10/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 21.04.2026 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

01. कार्य विभाजन आदेश के सरल कं. 13 के खंड कं. 4 के सरल कं. 3 (रूपये 5,00,001 से 1,00,00,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद। तह. दमोह, जबेरा, पथरिया, तेंदूखेड़ा से संबंधित) को विलोपित करते हुये कार्य विभाजन आदेश के सरल कं. 12 के खंड कं. 4 के सरल कं. 8 के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाता है।
02. कार्य विभाजन आदेश के नोट कं. 08 में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह को विलोपित करते हुये प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह अंतःस्थापित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।


(सुभाष सौलकी)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह म.प्र.

पृष्ठांकन कं. 3400/एक-11-1/85
आदेशानुसार प्रतिलिपि:-

दमोह दि. 11/07/26

01. समस्त न्यायालय/प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा जिला दमोह/परिवार न्यायालय दमोह।
02. अध्यक्ष/सचिव समस्त अधिवक्ता संघ दमोह/हटा/पथरिया जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. जेएसए दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


11-7-26
कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह